दिनांक 02.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 02/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद अलीगढ़/थाना बन्नादेवी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना बन्ना देवी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त यतेन्द्र उर्फ छोटू को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 08–08 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–नीरज 2–लवलेश 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कारावास व 08–08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना चॉदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना चॉदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/324/354डी/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/342 भादवि व 3/4 पॉक्से एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नईम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गाजीपुर/थाना जंगीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना जंगीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–राम अधार 2–राजू 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 11–11 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना गंगाघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव़ द्वारा थाना गंगाघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संजय को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड व 01 अभियुक्ता को 504/506 भादवि में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कछौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कछौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त योगेन्द्र को 06 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद कुशीनगर/थाना तमकुहीराज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.09.2023 की रात्रि थाना तमकुहीराज, थाना तरयासुजान व थाना कोतवाली पडरौना संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लतवा चट्टी नहर सरया रोड ग्राम लतवाजीत के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुलाब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुलाब निवासी लतवामुरलीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 01.09.2023 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा पिहानी के निकट करवां तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बब्लू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बब्लू निवासी भिरिया थाना पिहानी जनपद हरदोई।

जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर कार**
- **लूट के 5000/—रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **क्षतिग्रस्त जीपीएस सिस्टम आदि बरामद**

दिनॉकः 01.09.2023 को थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पारस पट्टी जनपद सुल्तानपुर से 02 अभियुक्तों 1—अजीत कुमार उर्फ नंगू 2—आदर्श को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर कार, लूट के 5000/—रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, क्षतिग्रस्त जीपीएस सिस्टम आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 29.08.2023 को थाना रैपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रैपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार, रूपये आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रैपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजीत कुमार उर्फ नंगू निवासी जौरिया थाना कटरा जनपद गोण्डा।

2–आदर्श निवासी दिनउ का पुरवा थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1–लूटी गयी स्विफ्ट डिजायर कार।

2–लूट के 5000/–रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–क्षतिग्रस्त जीपीएस सिस्टम आदि।

जनपद मथुरा/थाना छाता

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 54 मोबाइल फोन**
- **लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.09.2023 को थाना छाता व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–राहुल कुमार 2–श्रीराम 3–पंकज घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4–राजकुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 54 मोबाइल फोन, लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल कुमार निवासी ग्राम बिलौठी थाना छाता जनपद मथुरा।

2–श्रीराम निवासी ग्राम बिलौठी थाना छाता जनपद मथुरा।

3–पंकज निवासी बरारी थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा।

4–राजकुमार निवासी ग्राम बिलौठी थाना छाता जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 54 मोबाइल फोन।

2–लूट/चोरी की 02 मोटर साइकिल।

3–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना दुबग्गा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी कें सोने–चॉदी के आभूषण**
- **50 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 02.09.2023 को थाना दुबग्गा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पावर हाउस के पीछे से 03 अभियुक्तों 1–आकाश 2–मो0 इरसाद 3–जीतू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी कें सोने–चॉदी के आभूषण, 50 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना दुबग्गा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश निवासी ग्राम मुतक्कीपुर थाना मडियॉव, लखनऊ।

2—मो0 इरसाद निवासी ग्राम चौसा थाना बघौली जनपद हरदोई।

3—जीतू निवासी ग्राम उकड़ी थाना देवां जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी कें सोने—चॉदी के आभूषण ।

2—50 हजार रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

- **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 40 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने अभियुक्त योगेश डाबरा पुत्र स्योराज डाबरा निवासी ग्राम डाबरा थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 40 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः जनपद बदायूँ से गैंगस्टर एक्ट में वांछित रूपये 25 हजार का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी भूरा पुत्र रघुवीर गिरफ्तार।

दिनांक 01—09—2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना बिसौली जनपद बदायूँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2022 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट में वांछित रूपये 25 हजार का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी भूरा पुत्र रघुवीर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1–भूरा पुत्र रघुवीर निवासी गढ़ौलिया पटटी तासौल उर्फ धुबिया थाना सहसवान जनपद बदॉयू।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः

बाबी सिंह का खेत ग्राम बूटा सिंह वाला थाना बनूर जनपद पटियाला। दिनांक 01–09–2023

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण मे अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान उ0नि0 श्री राषिद अली के नेतृत्व मे मु0आ0 गिरिजेष पोसवाल, मु0आ0 रामजी लाल, मु0आ0 संदीप कुमार, आरक्षी संजय यादव, आरक्षी कमाण्डो खान मोहम्मद की एक टीम जनपद पटियाला मे मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना बिसौली जनपद बदॉयू मे पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे रूपये 25,000/–का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी भूरा पुत्र रघुवीर थाना बनूर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बूटा सिंह वाला के खेत के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर पुरस्कार घोषित अभियुक्त भूरा को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछतांछ करने पर बताया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिये पंजाब भाग गया था तथा लगभग 02 वर्ष से पटियाला जिले मे ग्राम बूटा सिंह वाला मे बाबी सरदार के यहॉ छुपकर रह रहा था।

गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना बनूर जनपद पटियाला, पंजाब को सूचना देकर अभियुक्त को थाना बिसौली जनपद बदायूँ मे दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 162 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (विभिन्न ब्राण्ड) बरामद।

दिनांक 01—09—2023 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न ब्राण्डों की 162 पेटी (3672 शीशी) अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये) टाटा 710 डीसीएम वाहन सहित बरामद करने में एसटीएफ उ0प्र0 को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1— आनन्द कुमार पुत्र श्री सत्यवीर निवासीग्राम जिन्द थाना सिविल लाइन्स जनपद जिन्द हरियाणा **(चालक)**

बरामदगीः—

1— 162 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रूपये)।

(1—ऑफिसर्स च्वाइस 750 एमएल—58 पेटी, 2— ऑफिसर्स च्वाइस375 एमएल 40 पेटी, 3— इम्पीरियल ब्लू 750 एमएल 10 पेटी, 4— इम्पीरियल ब्लू 375 एमएल29 पेटी,5— इम्पीरियल ब्लू 180 एमएल 25 पेटी।)

2— 01 अदद टाटा 710 डीसीएम ट्रक नम्बर यू0पी0 14सी 7778 (कूटरचित नम्बर) एच0आर0—45सी 7787 (वास्तविक नम्बर)।

3— 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन।

4— नकद 1510/— रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

कानपुर–बनारस हाईवे एनएच–19 राष्ट्रीय मार्ग रामायण ढाबा के पास थाना क्षेत्र नवाबगंज जनपद प्रयागराज दिनांकः 01.09.2023 समयः 21.45 बजे।

विगत काफी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

संकलित सूचना के क्रम में दिनांक 01.09.2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उ0नि0श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी संतोष कुमार, मुख्य आरक्षी चंदन भारती, मुख्य आरक्षी रोहित सिंह, आरक्षी किशन चन्द्र व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद प्रयागराज में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी। इस दौरान सूचना मिली कि हरियाणा व चण्डीगढ़ प्रान्त से एक टाटा 710 डीसीएम में लदी हुई अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु कानपुर–बनारस हाईवे के रास्ते पटना बिहार प्रान्त जायेगी। इस सूचना पर उक्त वाहन को कानपुर–बनारस हाईवे एनएच–19 राष्ट्रीय मार्ग रामायण ढाबा के पास रोड पर रोककर चेक किया गया तथा सघन तलाशी से टाटा 710 डीसीएम के अन्दर लदे खराब अण्डे की पेटियों की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था। उक्त अवैध अंग्रेजी शराब से लोड टाटा 710 डीसीएम व 01 अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र श्री सत्यवीर उपरोक्त को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों का अंग्रेजी शराब की तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जिसका सरगना नवदीप सिंह उर्फ नवी गिरेवाल उर्फ लकी सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी मकान नं0 : 8 प्रीत बिहार बल्टाना एसएएस नगर मोहाली पंजाब है। हम लोगों द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए विभिन्न ब्राण्डो की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का काम देश के विभिन्न प्रान्तों खासकर बिहार, झारखण्ड, गुजरात व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किया जाता है। हम लोग सस्ते दामों में कम्पनियों से चोरी छिपे सॉठ–गॉठकर अंग्रेजी शराब लेकर ऊँचे दामों पर विभिन्न प्रान्तों में खासकर जिसमें शराब विक्रय की पूर्णरूपेण पाबन्दी है, जैसे गुजरात, बिहार व झारखण्ड आदि प्रान्तों में बेंचते है। नवदीप सिंह उपरोक्त द्वारा यह अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ से लोड कराकर बिहार में बेचने के लिये स्थानीय तस्करों से सम्पर्क कर मुझे टाटा 710 डीसीएम लेकर भेजा गया था। बिहार के स्थानीय शराब तस्करों एवं सप्लायर (हरियाणा/पंजाब) की आपस में दूरभाष/व्हाट्सएप्प पर सीधे वार्ता हो रही थी, इसलिये उनके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मुझे बिहार व झारखण्ड राज्य तक शराब पहुॅचाने पर गैंग सरगना द्वारा 25 हजार रूपये ईनाम के रूप में दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र श्री सत्यवीर उपरोक्त को थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज में मु0अ0सं0 393/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————